<u>भारत के राजपत्र - असाधारण के भाग I खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/54/2025 - डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 29 सितंबर, 2025

<u>जांच शुरुआत अधिसूचना</u>

<u>मामला सं. सीवीडी (ओआई) - 06/2025</u>

विषय: <u>चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन और उससे कम के एल्युमीनियम फ़ॉयल" के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत।</u>

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स रविराज फॉयल्स लिमिटेड, मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद 'आवेदक' अथवा 'आवेदक कंपनियां' के रुप में कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रुप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन और उससे कम के एल्युमीनियम फॉयल" (जिसे इसके बाद 'संबद्ध वस्तु' अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पी यू सी" के रुप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की जांच शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/ निर्यातकों को संबद्ध देश की सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की गई कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ मिला है, जिसमें विभिन्न प्रांतों और नगर पालिकाओं की सरकारें, जिनमें उत्पादक/ निर्यातक स्थित हैं और अन्य 'सार्वजनिक निकाय' शामिल हैं। आवेदकों ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध संगत कानूनों, नियमों और विनियमों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं तथा अन्य जांच प्राधिकारियों के निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिन्होंने ऐसी योजनाओं की व्यापक जांच की थी और प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रमों के मौजूद होने का निष्कर्ष निकाला था।

क. <u>पृष्ठभूमि</u>

3. प्राधिकरण ने 15 दिसंबर 2015 को अधिसूचना संख्या 14/06/2015-डीजीएडी के तहत 'एल्यूमीनियम फॉयल' की जांच शुरू की। इस जांच में विचाराधीन उत्पाद 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक का एल्यूमीनियम फॉयल था। प्राधिकरण ने 10 मार्च 2017 को जांच में अंतिम निष्कर्ष जारी किए, जिसमें 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक के एल्यूमीनियम फॉयल पर शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। वित्त मंत्रालय ने 16 मई 2017 की अधिसूचना संख्या 23/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत शुल्क लगाया।

4. इसके बाद, प्राधिकरण ने 20 जून 2020 की अधिसूचना संख्या 06/21/2020-डीजीटीआर के तहत संबंधित वस्तुओं की जांच शुरू की, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से "80 माइक्रोन और उससे कम एल्यूमीनियम फॉयल" के आयात की जांच की गई। इस जाँच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की एल्युमीनियम फ़ॉइल शामिल नहीं थी, क्योंकि इस उत्पाद पर पहले से ही शुल्क लागू थे। विस्तृत जाँच के बाद, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संबंधित वस्तुएँ चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से डंप की गई कीमतों पर निर्यात की गईं और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक

क्षति हुई। प्राधिकरण ने अपने अंतिम निष्कर्ष संख्या 6/21/2020- डीजीटीआर, दिनांक 18 जून 2021 के माध्यम से निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफ़ारिश की, जिन्हें वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 51/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 सितंबर 2021 के माध्यम से पाँच वर्षों की अवधि के लिए लगाया था।

5. प्राधिकरण ने अधिसूचना संख्या 7/3/2024- डीजीटीआर दिनांक 29 मार्च 2024 के तहत एक मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की। यह निष्कर्ष निकाला गया कि 26 मार्च 2025 को अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों के अनुसार थाईलैंड में उत्पादकों पर लागू डंपिंग रोधी शुल्क के पुनः परिमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. अलग से, चीन पीआर से "एल्युमीनियम फॉयल" के आयात की डंपिंग रोधी जांच की गई, जिसकी शुरुआत अधिसूचना संख्या 06/35/2023- डीजीटीआर दिनांक 21 मार्च 2024 के तहत की गई। उक्त जांच में चीन पीआर से 5.5 माइक्रोन से कम आकार के एल्युमीनियम फॉयल को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इसे 2021 में संपन्न जांच के उत्पाद दायरे में शामिल किया गया था। अधिसूचना संख्या 06/35/2023- डीजीटीआर दिनांक 28 अगस्त 2024 के तहत अनंतिम शुल्क लगाए गए। 02/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 17 मार्च 2025 के तहत प्राधिकरण द्वारा अंतिम निष्कर्षों के माध्यम से निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की गई, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 15/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 19 जून 2025 के तहत लगाया गया। ये शुल्क वर्तमान में लागू हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन और उससे कम के एल्युमीनियम फ़ॉयल" हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में 80 माइक्रोन या उससे कम की मोटाई (अनुमत टोलरेंस के साथ) के एल्युमीनियम फ़ॉयल शामिल है, चाहे वे मुद्रित हों या नहीं, अथवा कागज़, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या समान पैकेजिंग सामग्री के साथ हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

क) एल्युमीनियम फ़ॉयल कम्पोजिट- क्राफ्ट पेपर और ग्लास स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ के साथ या पॉलीएथिलीन के साथ या उसके बिना लैमिनेटेड या समर्थित एल्युमीनियम फ़ॉयल, चाहे मुद्रित हो या नहीं। तथापि, क्राफ्ट पेपर के साथ लैमिनेटेड या समर्थित एल्युमीनियम फ़ॉयल विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित उपायों के दायरे में है।

ख) नक्काशीदार या निर्मित एल्युमीनियम फ़ॉयल - नक्काशीदार या निर्मित एल्युमीनियम फ़ॉयल, वे एल्युमीनियम फ़ॉयल हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के निर्माण में किया जाता है।

ग) एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल - एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल एक गैर-एल्युमीनियम कोर (प्राय: पी ई) होता है जो एल्युमीनियम की दो पतली परतों के बीच बंधा होता है, जिसका उपयोग फेकेड क्लैडिंग और साइनेज में किया जाता है।

घ) संगत नॉन-क्लैड एल्युमीनियम फ़ॉयल के साथ क्लैड - संगत नॉन-क्लैड एल्युमीनियम फ़ॉयल के साथ क्लैड एक जंग रोधी एल्युमीनियम शीट होती है, जो एल्युमीनियम की सरफेस लेयर से बनी होती है और उच्च-शक्ति एल्युमीनियम मिश्र धातु कोर सामग्री से धातुकर्मीय रूप से (मेटलर्जिकली) जुड़ी होती है। इसका उपयोग ऑटोमोटिव उद्योग में इंजन कूलिंग और एयर कंडीशनर प्रणालियों में किया जाता है; जैसे रेडिएटर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।

ड़) बीयर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फ़ॉयल - 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फ़ॉयल, खुरदरी सतह वाली और छिद्रित, चाहे मुद्रित हो या नहीं; जो बीयर की बोतल में उपयोग के लिए होती है।

च) एल्युमीनियम-मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित और/ अथवा क्लैड एल्युमीनियम - मैंगनीज सिलिकॉन आधारित मिश्र धातु, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड - 35 एमपीए से अधिक पोस्ट ब्रेज़िंग यील्ड स्ट्रेंथ के साथ, रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेंसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवेपोरेटर, हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणालियां और तत्संबंधी पुर्जे सहित जो हीट एक्सचेंजर्स में उपयोग के लिए टैरिफ हेडिंग 7607 के अंतर्गत आते हैं।

8. विचाराधीन उत्पाद को मुख्य रुप से खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का संरक्षण और भंडारण करने, दवाइयों की पैकेजिंग करने आदि के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे खाद्य और खाद्य उत्पादों का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए पैकेजिंग सामग्री के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। एल्युमिनियम फॉयल एक गैर-विषाक्त पदार्थ है। यह एक अच्छा तापीय चालक भी है और सामान्य तौर पर काफी लचीला होता है।

9. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय 76 के उप शीर्ष 7607 के अंतर्गत कार्बनिक रसायनों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं को भारत में 76071 190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और 76071992 के अंतर्गत आयात किया जाता है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

10. विचाराधीन उत्पाद की बिक्री उसके भार के अनुसार की जाती है, इसलिए माप की इकाई मीट्रिक टन (मी. टन) या किलो ग्राम (कि. ग्रा.) में मानी जाती है।

11. आवेदकों ने पी सी एन का प्रस्ताव किया है और उसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हितबद्ध पक्षकार इस जांच के प्रयोजन के लिए पी सी एन पर अपनी टिप्पणियां इस जांच की शुरुआत होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर प्रदान कर सकते हैं।

क्र सं	**फॉयल का प्रकार**	**माइक्रोन रेंज**	**सादी / परिवर्तित**	**पी सी एन कोड**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	एलु एलु स्टॉक/ फ़ॉयल	45-60	सादी फॉयल	ए एस बी एफ
2	हाउस फॉयल/होम फ़ॉयल	8-22	सादी फॉयल	एच एफ बी एफ
3	लाइट गेज (एल जी)	7- < 20	सादी फॉयल	एल जी बी एफ
4	मध्यम गेज (एम जी)	20-60	सादी फॉयल	एम जी बी एफ

5	अर्ध-कठोर कंटेनर (एस आर सी)	30-80	सादी फॉयल	एए आर बी एफ
6	अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर	5.5- <7	सादी फॉयल	यू जी बी एफ
7	बैटरी फ़ा फ़ॉयल	9-20	सादी फॉयल	बी एफ बी एफ
8	कैपेसिटर	4.5- 20	सादी फॉयल	सी एफ बी एफ
9	*कोई अन्य सादी फ़ॉयल (क्रम सं. 1-8 के अंतर्गत नहीं)		सादी फॉयल	ओ एफ बी एफ
10	सिगरेट फ़ॉयल	5.5-7	परिवर्तित	सी एफ सी एफ
11	एलु एलु परिवर्तित/ लेमिनेटेड	45-60	परिवर्तित	ए एस सी एफ
12	हाउस फॉयल/ होम फ़ॉयल परिवर्तित	8-22	परिवर्तित	एच एफ सी एफ
13	एस आर सी परिवर्तित	30-80	परिवर्तित	एस आर सी एफ
14	मध्यम गेज (एम जी) परिवर्तित	20-60	परिवर्तित	एम जी सी एफ
15	लाइट गेज (एल जी) परिवर्तित	7-<20	परिवर्तित	एल जी सी एफ
16	बैटरी फॉयल परिवर्तित	9-20	परिवर्तित	बी एफ सी एफ
17	कोई अन्य परिवर्तित फ़ॉइल (क्रम सं. 10-16 के अंतर्गत नहीं)		परिवर्तित	ओ एफ सी एफ
18	अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर	5.5- <7	सादी फॉयल	यू जी बी एफ

ग. <u>समान वस्तु</u>

12. आवेदकों ने यह दावा किया है कि संबद्धं वस्तुएं, जिन पर सब्सिडी दी जाती है और जिन्हें भारत में निर्यात किया जाता है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। संबद्ध आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्धवस्तुओं तथा आवेदकों द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, कार्यों या अंतिम उपयोगों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए, नियमावली के तहत इन्हें

'समान वस्तु' के रुप में माना जाना चाहिए। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, आवेदकों द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

13. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. <u>जांच की अवधि</u>

14. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पी ओ आई) दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) की है और क्षति जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति</u>

15. यह आवेदन मेसर्स रविराज फॉयल्स लिमिटेड, मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कंपनियों के अलावा, संबद्ध वस्तुओं के 26 अन्य घरेलू उत्पादक भी हैं। प्राधिकारी ने इन अन्य ज्ञात उत्पादकों से भी उनके उत्पादन, बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए संपर्क किया है। तथापि, अभी तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

16. रविराज फॉयल्स लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, और श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। एलएसकेबी एल्युमिनियम फॉयल्स प्राइवेट

लिमिटेड, और एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड ने जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, तथापि यह देखने में आया है कि आयात की मात्रा कम है और ये उनके अपने उत्पादन, आयात और खपत की तुलना में नगण्य है।

17. आवेदकों ने कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान लगाया है और इस स्तर पर इसे उपयुक्त माना गया है। इस प्रकार, उपलब्ध सूचना के आधार पर और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदकों द्वारा किया गया उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक बड़ा हिस्सा" है। इस प्रकार, आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग हैं, और यह आवेदन नियम 6(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

छ. <u>कथित सब्सिडी का आधार</u>

18. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. की सरकार ने विभिन्न प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रम चलाए हैं। आवेदक कंपनियों ने यह अनुरोध किया है कि पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो यह दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों को अनुदान, ऋण, गारंटी, कर, निर्यात ऋण, वस्तुओं और सेवाओं, तथा इक्विटी निवेश के रूप में सब्सिडी प्राप्त हुई होगी - जो लाभकारी होगी। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सूचना *प्रथम दृष्टया* यह दर्शाती है कि नीचे उल्लिखित किए गए कार्यक्रम सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर समझौते और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली, 1995 के अनुसार कार्रवाई योग्य सब्सिडी हैं और ऐसी सब्सिडी चीन सरकार द्वारा प्रदान की गई थी और संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों और उत्पादकों को इन सब्सिडी से लाभ हुआ होगा।

19. आवेदकों द्वारा प्रदान किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों को सरकार और/ या संबद्ध देश में अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा दी गई कई सब्सिडी से लाभ हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित सब्सिडी/ कार्यक्रमों का दावा किया गया है:

I. <u>अनुदानों के रूप में कार्यक्रम</u>

कार्यक्रम सं. 1: वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनहुई फंड

कार्यक्रम सं. 2: चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन 18वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट फंडिंग

कार्यक्रम सं. 3: सरकार की प्रबंधित निधि से छूट

कार्यक्रम सं. 4: निर्यात सहायता अनुदान

कार्यक्रम सं. 5: प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम

कार्यक्रम सं. 6: ग्वांगडोंग प्रांत में वायु प्रदूषक उत्सर्जन में कमी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन निधि

कार्यक्रम सं. 7: उद्यम अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 8: उद्यम नवाचार एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता छूट निधि

कार्यक्रम सं. 9: विदेशी व्यापार विकास निधि अनुदान

कार्यक्रम सं. 10: उन्नत विनिर्माण बजट के लिए निधि

कार्यक्रम सं. 11: ग्वांगडोंग इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र पहचान सब्सिडी निधि

कार्यक्रम सं. 12: ग्वांगडोंग प्रांत सामाजिक बीमा परिसमापन बेरोजगारी सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 13: उच्च तकनीक उद्यम संवर्धन निधि

कार्यक्रम सं. 14: 2010 के केंद्रीय बजट में प्रमुख उद्योगों (छठे बैच) के पुनरुद्धार और तकनीकी सुधार के लिए निवेश योजना

कार्यक्रम सं. 15: जियांगयिन उद्योग एवं सूचना ब्यूरो विशेष निधि (ऊर्जा बचत)

कार्यक्रम सं. 16: जियांगयिन बौद्धिक संपदा विशेष निधि

कार्यक्रम सं. 17: प्रमुख प्रयोगशालाओं को 2021 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार निधि से सम्मानित किया गया

कार्यक्रम सं. 18: उद्यमों के अनुसंधान एवं विकास के लिए नगरपालिका सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 19: राष्ट्रीय कौशल पुनरोद्धार परियोजनाएं

कार्यक्रम सं. 20: एकमुश्त रोजगार सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 21: नगरपालिका प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/ वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धि परिवर्तन परियोजनाओं/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार/ प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेष परियोजनाओं के बाद वित्त पोषण के लिए सब्सिडी पश्चात निधि 2018-19

कार्यक्रम सं. 22: उद्यम अनुसंधान एवं विकास के लिए क्षेत्रीय वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना

कार्यक्रम सं. 23: कंप्रिहेंसिव बॉन्डेड एरिया को बढ़ावा देना

कार्यक्रम सं. 24: भविष्य निधि केंद्र विस्तारोत्तर लाभ

कार्यक्रम **सं.** 25: वर्ष 2021 में उद्यम अनुसंधान एवं विकास के लिए क्षेत्रीय वित्तीय सहायता

कार्यक्रम सं. 26: स्थानीय सरकारों द्वारा पाटनपरोधी या सीवीडी कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति

कार्यक्रम सं. 27: लघु और सूक्ष्म उद्यमों के वित्तपोषण गारंटी व्यवसायों के लिए शुल्क कम करने हेतु पुरस्कार सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 28: शान्ताउ शहर प्रशिक्षण के बदले काम सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 29: शान्ताउ कंप्रिहेंसिव बॉन्डेड जोन हाई ऐंड टेलेंट कंट्रीब्यूशन अवार्ड फंड

कार्यक्रम सं. 30: शान्ताउ कंप्रिहेंसिव बॉन्डेड जोन औद्योगिक उत्पादन उन्नयन प्रोत्साहन निधि

कार्यक्रम सं. 31: व्यावसायिक कौशल संवर्धन कार्य निधि/ व्यावसायिक दक्षता संवर्धन हेतु सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 32: वोलोंग जिला वित्त ब्यूरो अनुदान (2022 में उद्यम अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रांतीय वित्तीय सहायता हेतु विशेष निधि)

II. <u>कर प्रोत्साहनों के रूप में कार्यक्रम</u>

कार्यक्रम सं. **33:** अचल संपत्तियों या खरीदे गए सॉफ़्टवेयर के लिए त्वरित मूल्यह्रास या परिशोधन नीति

कार्यक्रम सं. **34:** झिंजियांग के दो विशेष आर्थिक विकास क्षेत्रों, काश्गर और होर्गोस के लिए कॉर्पोरेट आयकर प्राथमिकताएं

कार्यक्रम सं. **35:** योग्य बैटरियों और कोटिंग्स के लिए उपभोग कर से छूट

कार्यक्रम सं. **36:** डीज़ल और अन्य औद्योगिक ईंधन पर उपभोग कर से छूट

कार्यक्रम सं. **37:** बेरोज़गारी बीमा, पदों का स्थिरीकरण, कौशल सुधार और बेरोज़गारी की रोकथाम में बेहत्तर काम

कार्यक्रम सं. **38:** प्रोत्साहित उद्योगों में आयातित उपकरणों पर आयात शुल्क और वैट छूट

कार्यक्रम सं. **39:** उद्यम आयकर कानून के तहत अनुसंधान एवं विकास व्यय के लिए आयकर कटौती

कार्यक्रम सं. **40:** उत्पादन के लिए संसाधनों के व्यापक उपयोग हेतु आयकर में कमी

कार्यक्रम सं. **41:** उच्च या नई प्रौद्योगिकी उद्यमों (एचएनटीई) के लिए आयकर में कमी

कार्यक्रम संख्या 42: ऋण ब्याज सब्सिडी

कार्यक्रम सं. **43:** एमएसएमई द्वारा उपकरणों और उपकरणों की खरीद पर एकमुश्त कर-पूर्व कटौती

कार्यक्रम सं. **44:** व्यक्तिगत आयकर प्रतिपूर्ति

कार्यक्रम सं. **45:** बेरोजगारी बीमा और कार्य-संबंधी क्षति बीमा प्रीमियम दरों में चरणबद्ध कमी

कार्यक्रम सं. 46: गुआंगज़ौ नानशा में अधिमान्य कॉर्पोरेट आयकर नीति

कार्यक्रम सं. **47:** प्रदूषक उत्सर्जन मानकों से नीचे के उद्यमों के लिए अधिमान्य पर्यावरण संरक्षण कर

कार्यक्रम सं. **48:** पश्चिमी क्षेत्रों के लिए अधिमान्य कर छूट

कार्यक्रम संख्या 49: विशेष आर्थिक क्षेत्रों और शंघाई के पुडोंग न्यू एरिया में स्थापित उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां

कार्यक्रम सं. **50:** ठोस अपशिष्ट के व्यापक उपयोग के लिए पर्यावरण संरक्षण पर अधिमान्य कर उपचार

कार्यक्रम सं. **51:** वित्तपोषण पर अधिमान्य कर उपचार

कार्यक्रम सं. **52:** उच्च तकनीक उद्यमों पर कम कॉर्पोरेट आयकर

कार्यक्रम सं. **53:** उत्पादों और सेवाओं के लिए व्यापक संसाधन उपयोग पर वैट की वापसी

कार्यक्रम सं. 54: शेल गैस के लिए संसाधन कर में कमी

कार्यक्रम सं. 55: कॉलेज स्नातकों को आकर्षित करने के लिए शान्ताउ वित्त ब्यूरो रोजगार सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 56: शान्ताउ सामाजिक बीमा निधि प्रशासन बेरोजगारी लाभ सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 57: नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए विशेष निधि

कार्यक्रम सं. 58: औद्योगिक उद्यमों का स्थिर विकास

कार्यक्रम सं. 59: बाजारों और अन्य परियोजनाओं के विकास के लिए लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 60: बीजिंग में उच्च-स्तरीय विदेशी प्रतिभाओं के लिए सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 61: हैकांग जिले में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार के लिए सब्सिडी

कार्यक्रम सं. 62: जिआंगसू प्रांत का सूज़ौ औद्योगिक पार्क, हरित विकास हेतु विशेष निधि

कार्यक्रम सं. 63: सूज़ौ औद्योगिक पार्क वाहक निर्माण लाभ

कार्यक्रम सं. 64: लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों और व्यक्तिगत व्यवसायों के विकास को और अधिक समर्थन देने के लिए कर एवं शुल्क नीतियां

कार्यक्रम सं. 65: तीन सितारा रेटेड उद्यम पुरस्कार/ चार सितारा रेटेड करदाता उद्यम पुरस्कार

कार्यक्रम सं. 66: लघु करदाताओं के लिए वैट कटौती और छूट नीति

कार्यक्रम सं. 67: स्व-निर्मित नई दीवार सामग्री की बिक्री के लिए वैट वापसी नीति

कार्यक्रम सं. 68: वर्कर रिटेंशन भत्ता

III. <u>अपर्याप्त पारिश्रमिक से कम (एल टी ए आर) के रूप में कार्यक्रम</u>

कार्यक्रम सं. 69: एल टी ए आर हेतु विद्युत का प्रावधान

कार्यक्रम सं. 70: एल टी ए आर हेतु भूमि का प्रावधान

कार्यक्रम संख्या 71: एल टी ए आर हेतु प्राथमिक एल्युमीनियम का प्रावधान

IV. <u>अधिमान्य वित्तपोषण, ऋण और निर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम</u>

कार्यक्रम सं. 72: निर्यातक क्रेता ऋण नीति

कार्यक्रम सं. 73: निर्यातक विक्रेता ऋण नीति

कार्यक्रम सं. 74: एल्युमीनियम फ़ॉयल उद्योग के लिए नीतिगत ऋण

कार्यक्रम सं. 75: बेरोजगारी बीमा की वापसी

ज. <u>परामर्श</u>

20. प्राधिकारी ने सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर समझौते (ए एस सी एम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार दिनांक 25 अगस्त, 2025 को एक परामर्श बैठक निर्धारित करके चीन सरकार को परामर्श के लिए आमंत्रित किया है। तथापि, दूतावास ने अभी तक परामर्श अनुरोध का उत्तर नहीं दिया है।

झ. <u>क्षति, आशंका और कारणात्मक संबंध</u>

21. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि कथित सब्सिडी के परिणामस्वरूप क्षति हुई है और इसके परिणामस्वरूप भारत में उत्पादन और खपत के साथ-साथ कुल मिलाकर सब्सिडी के आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग पर कीमत दवाब का प्रभाव भी पड़ा है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि संबद्ध देश से सब्सिडी के निर्यातों के परिणामस्वरूप बिक्री और परिणामस्वरूप लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल और नकदी लाभ में गिरावट के संबंध में उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य *प्रथम दृष्टया* चीन जन. गण. से कथित सब्सिडी के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाते हैं।

ञ. <u>प्रतिसंतुलनकारी</u> शुल्क जांच की शुरुआत

22. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित किए गए लिखित आवेदन के आधार पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, जो संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर सब्सिडी दिए जाने, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा ऐसी कथित सब्सिडी और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करता है तथा नियमावली के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में कथित सब्सिडी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एतदद्वारा जांच की शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ट. <u>प्रक्रिया</u>

23. वर्तमान जांच में सी वी डी नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ठ. <u>सूचना की प्रस्तुति</u>

24. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर भेजे जाने चाहिए, जिनकी एक-एक प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का विस्तृत भाग सर्च योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फार्मेट में हों। फ़ाइलों तक पहुंचने के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

25. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, सी वी डी

नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

ड. <u>समय सीमा</u>

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना, नियम 7(4) के अनुसार, सूचना प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए, जिसकी एक प्रति dir15-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in पर भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें।

30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे सी वी डी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करना होगा और ऐसा अनुरोध इस

अधिसूचना में निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

31. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करने वाले या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को सी वी डी नियमावली के नियम 8(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

32. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे। यदि अनुरोध कई भागों में किया जाता है, तो प्रत्येक भाग में एक अनुक्रमणिका तालिका प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें संलग्न सभी भागों/ ईमेल और दस्तावेजों की विषय-वस्तु का उल्लेख हो। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या अंकित करना सुनिश्चित करें।

33. जहां मूल दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, वहां हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ उनका सही अनुदित पाठ भी उपलब्ध कराया जाए।

34. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। इस प्रकार से अंकित किए बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

35. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है और/ या अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी

सूचना जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त स्थान दिया गया हो (यदि अनुक्रमण संभव न हो) और उस सूचना के आधार पर उसका सारांश दिया गया हो जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

37. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह उल्लेख कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सी वी डी नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ऐसा सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।

38. हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मामले पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

39. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसका प्रकटीकरण करने को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

40. बिना किसी सार्थक अगोपनीय पाठ के अथवा सी वी डी नियमावली के नियम 8 और गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार उचित कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

41. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और स्वीकार किए जाने पर, उस पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

42. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध/ उत्तरों/ सूचना के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। इन अनुरोध/ उत्तरों/ सूचना के अगोपनीय पाठ को परिचालित न किए जाने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

त. <u>असहयोग</u>

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते है जो वे उचित समझें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी